[illegible] को [illegible]

[illegible] पत्रावली [illegible] नहीं लेकर पेश हुई। पत्रावली [illegible] में [illegible] नहीं हुई। अतः पत्रावली दिनांक 31/1/22 को पेश हो।

(प्रमोद)
सहायक कलक्टर
SDO (मुख्यालय)

31/1/22 पत्रावली काज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण अब उक्त बटवारा प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा प्रकरण पैरवी की हिदायत नहीं होने के नोट प्रेस में खारिज निरस्त करावें। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में नोट प्रेस किये जाने के इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 16/07/20 निरस्त की जाकर प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाकर दाखिल दफ्तर हो।

पैरवी की नहीं

(प्रमोद)
सहायक कलक्टर
SDO (मुख्यालय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:50 IST
Reason: SelfAttested